रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-73

REGISTERED No. D.-(D.)-73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 177] नई दिल्ली, सोमवार, जून 23, 1980/आषाढ़ 2, 1902

No. 177] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 23, 1980/ASADHA 2, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 23 जून, 1980

सा. का. नि. 378(अ).—केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोक हित में यह आवश्यक और समीचीन है कि आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54) के कुछ उपबन्धों के प्रवर्तन से कतिपय व्यक्तियों और व्यक्तियों के वर्ग को छूट दी जाए और कतिपय विवरण के गोलाबारूद को अपवर्जित किया जाए,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुज्ञप्त व्यौहारियों और अन्य अनुज्ञप्तिधारियों को जिनके कब्जे में ऐसे बहु-उद्देश्यीय प्रक्षेप्य गोलाबारूद है जिनमें किसी प्रक्षेप्य की विमा 5 मि.मी. या उससे अधिक है और जिसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 375(अ), तारीख 21 जून, 1980 के अनुसार प्रतिषिद्ध गोलाबारूद घोषित किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के प्रवर्तन से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात् :—

(क) कि इस अधिसूचना के अधीन छूट प्राप्त व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर निकटस्थ पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को या जहां प्रतिषिद्ध गोलाबारूद संघ के सशस्त्र बल के किसी सदस्य के कब्जे में है वहां किसी यूनिट शस्त्रागार के समक्ष उपर्युक्त प्रतिषिद्ध गोलाबारूद की मात्रा के बारे में घोषणा करेगा; और

(ख) कि उपर्युक्त प्रतिषिद्ध गोलाबारूद का किसी को भी विक्रय नहीं किया जाएगा या उसे प्रतिफल के लिए प्रतिस्थापित नहीं किया जाएगा और उसे इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर सं. कारतूसों में संपरिवर्तित कराएगा ।

[फा. सं. वी. 11012/4/80-जी.पी. ए-5]

के. एन. भनोट, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 1980

G.S.R. 378(E).—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient in the public interest to exempt certain persons and class of persons and exclude certain description of ammunition from the operation of some of the provisions of the Arms Act, 1959 (54 of 1959).

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 41 of that Act, the Central Government hereby exempts the licensed dealers and other licensees possessing

any multiple projectile ammunition in which any projectile has a dimension of 5 mm. or more, which has been declared to be prohibited ammunition vide the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs' No. G.S.R. 375(E) dated the 21st June, 1980, from the operation of the provisions of section 7 of that Act subject to the following conditions, namely :—

(a) that the persons or class of persons exempted under this notification shall make a declaration about the quantity of above said prohibited ammunition within one month from the date of publication of this notification in the Official Gazette to the Officer-in-charge of the nearest Police Station or where the prohibited ammunition is in possession of a member of the Armed Forces of the Union, to a Unit Armoury; and

(b) that the above said prohibited ammunition shall not be sold or offered for consideration to anybody and the same shall be got converted into number cartridges within a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[File No. V. 11012/4/80-GPA. V]

K. N. BHANOT, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980